



कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
(श.मन/स्वीकृत पत्र)

सेवा में,

श्री सुनील पी. गुप्ता
पुत्र श्री के.सी. गुप्ता सचिव, आई.टी.
गेरठ रोड, गाजियाबाद

पत्रांक/107/अभियन्ता/प्रवर्तन/जी.डी.ए./200

दिनांक: 27/9/13

विषय:- भूखण्ड संख्या: 277M, 27B, 28A, 28M, 281M, 281M, 281M, 281M पर निर्मित भवन के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन दिनांक..... 06/12/2012 शपथपत्र एवं शमन

मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक..... 16/9/13.....

द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रु. 46,67,558.00/ (अब्सीस लॉस

सहस्र हजार पंच सौ अठारह हजार) रसीद संख्या..... दिनांक..... 23/9/13.....

के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति

प्रदान करते हुये शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

1. निर्मित भवनों के प्रयोग से पूर्व संपूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार संपूर्ति प्रमाण-पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी (300.00 वर्गमी० अथवा इससे अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल होने पर लागू)।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक..... 26/11/2012 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 2 से 4 तक की शर्तों के अनुपालन के उपरान्त ही संपूर्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों को निर्माण नहीं करेंगे।
8. मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. शमनित भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या/ 19-307/09 / जोन / दिनांक..... एवम अन्य में दी गई शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

संलग्नक : शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार।

अवर अभियन्ता (प्रवर्तन)

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)

INSTITUTIONAL

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296


297

298

299

300

301



TO BE DEMOLISHING AREA DETAIL

Block	G Floor area sqm	F Floor area sqm	All Floor area sqm
BLOCK C (10 FLOOR)	144.78	---	144.78
WORK SHOP	41.78	---	41.78
ACAD. BLOCK	12.35	12.35	24.70
2.80 X 4.25 = 12.35	---	---	---
TOTAL	197.13	12.35	214.48

COMPOUNDING PLAN FOR INSTITUTIONAL BUILDINGS ON KHASRA NO-277M, 278, 280A, 280M, 281M, 281Kh, 282M, 283, 286E, KRISHNA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 13 K. M. STONE, GHAZIABAD, MEERUT ROAD MURAD NAGAR, GHAZIABAD

AREA CHART

Sl. No.	Description	Area (sqm)
1	TOTAL AREA OF PLOT =	2,241.66
2	AREA FOR TOWN DEVELOPMENT FOR MASTER PLAN ROAD (100 M. WIDE - (13.8000) 40)	424.29
3	NET PLOT AREA (After road widening)	2,817.37
4	F.A.R. OLD COMPOUNDING AREA (SANCTION AREA) - (627.14) 107.80 = 5.8000	16,511.50
5	F.A.R. NEW COMPOUNDING AREA = 5.215.25 = 46.66 = 5.0000	14,200.00
6	TOTAL F.A.R. (OLD AREA + NEW AREA) = (64.947.58 + 5.000.00) = 70.947.58	70.947.58
7	PERMISSIBLE	---
8	GROUND COVERAGE = OLD COM + NEW COM = 17,448.69 + 1970.73 = 19,419.42	19,419.42
9	PERMISSIBLE	---
10	PERMISSIBLE	---

COMPOUNDING AREA CALCULATION DETAILS

Block	Description	Area (sqm)
8	BLOCK C-1 (6 FLOOR)	287.40
9	BLOCK C-2 (6 FLOOR)	889.92
10	BLOCK C-3 (6 FLOOR)	72.85
11	BLOCK C-4 (6 FLOOR)	710.48
TOTAL	TOTAL	1970.73

COMPOUNDING AREA DETAILS



Block	Description	Area (sqm)
8	BLOCK C-1 (6 FLOOR)	287.40
9	BLOCK C-2 (6 FLOOR)	889.92
10	BLOCK C-3 (6 FLOOR)	72.85
11	BLOCK C-4 (6 FLOOR)	710.48
TOTAL	TOTAL	1970.73

संशोधन विभाग का निर्माण

1. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 2. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 3. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 4. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 5. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 6. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 7. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 8. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 9. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 10. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।

संशोधन विभाग का निर्माण

1. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 2. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 3. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 4. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 5. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 6. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 7. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 8. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 9. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।
 10. यह योजना केन्द्र के अन्तर्गत है।



COMPOUNDING AREA CALCULATION DETAILS

Block	Description	Area (sqm)
1	PERMISSIBLE AREA	16,511.50
2	TOTAL F.A.R. (OLD AREA + NEW AREA)	70.947.58
3	PERMISSIBLE AREA	16,511.50
4	TOTAL F.A.R. (OLD AREA + NEW AREA)	70.947.58
5	PERMISSIBLE AREA	16,511.50
6	TOTAL F.A.R. (OLD AREA + NEW AREA)	70.947.58
7	PERMISSIBLE AREA	16,511.50
8	TOTAL F.A.R. (OLD AREA + NEW AREA)	70.947.58
9	PERMISSIBLE AREA	16,511.50
10	TOTAL F.A.R. (OLD AREA + NEW AREA)	70.947.58

COMPOUNDING AREA DETAILS

Block	Description	Area (sqm)
8	BLOCK C-1 (6 FLOOR)	287.40
9	BLOCK C-2 (6 FLOOR)	889.92
10	BLOCK C-3 (6 FLOOR)	72.85
11	BLOCK C-4 (6 FLOOR)	710.48
TOTAL	TOTAL	1970.73